

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/13

जयपुर, दिनांक :- 10.1.13

- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सामने अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री शिवराम सिंह कनिष्ठ लेखाकार कृषि विभाग, जयपुर	4/53 गॉधीनगर	31.8.2027	101/05
2	श्री सुरेश कुमार टेलर वरिष्ठ लिपिक कार्यालय संसदीय सचिव(एम.बी.) शासन सचिवालय, जयपुर	4/डी/19 गॉधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)	28.2.2026	127/08
3	श्रीमती अनिता शर्मा कनिष्ठ लिपिक राजस्थान विधान सभा, जयपुर	4/ए/21 गॉधीनगर	131.3.2029	43/09
4	श्री धनश्याम शर्मा कनिष्ठ लिपिक राजस्थान विधान सभा, जयपुर	4/28 गॉधीनगर	30.6.2022	145/09
5	श्री कन्हैया लाल राठौड़ वरिष्ठ लिपिक राज० मा० विद्यालय, दवाबखाना, जयपुर	4/68 गॉधीनगर	30.6.2015	147/08
6	श्रीमती मंजू पांचाल कनिष्ठ लिपिक आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर	4/82 गॉधीनगर	31.10.2029	149/09
7	श्रीमती नीरा मीणा वरिष्ठ लिपिक सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	4/110 गॉधीनगर	31.7.2033	150/09

गर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 8 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 8 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटनी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटनी अधिकारी को मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
- आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।

9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।
10. कंस0 2 व 3 पर अंकित कार्मिकों से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रू0 150/- प्रतिमाह इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग।
4. संयुक्त निदेशक (प्र0), कृषि विभाग, जयपुर।
5. सहायक सचिव (संस्थापन), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. उप शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, जयपुर।
7. मुख्यलेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय।
6. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गाँधीनगर, जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर,, जयपुर।
11. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
12. अनुभागाधिकारी, कार्मिक(ग) विभाग को किराया कटौती हेतु।
13. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव